

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की ओर से संपठित नियम व शर्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु० में)	धरोहर राशि (रु० में)	कार्य की अवधि	पंजीकृत/निर्धारित श्रेणी	निविदा/ई-निविदा प्राप्त/डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	निविदा/ई-निविदा डालने/अपलोड करने की अन्तिम तिथि	ई-निविदा खोलने की तिथि तथा समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	बुलन्दशहर नगर में विभिन्न स्थलों पर 11 नग हाईमास्ट लाईट लगाये जाने का कार्य।	51.85	2,655	1,04,000	06 माह	श्रेणी ए एवं उच्चतम विद्युत श्रेणी	15-10-26	21.10.26 5.00PM	22.10.26 11.00 AM
2	खुर्जा नगर में विभिन्न स्थलों पर 10 नग हाईमास्ट लगाये जाने का कार्य।	47.16	2,655	95,000	04 माह	श्रेणी बी एवं उच्चतम विद्युत श्रेणी	15-10-26	21.10.26 5.00PM	22.10.26 11.00 AM
3	कालिन्दी कुंज आवासीय योजना अन्तर्गत क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत, सीवर, मैनहॉल के निर्माण, LIG, EWS एवं Affordable Housing में क्षतिग्रस्त ड्रेन पाईप, वॉटर लाईन कनेक्शन व मैनहॉल एवं अन्य मरम्मत का कार्य।	21.12	950	43,000	06 माह	श्रेणी-सी (सिविल)	15-10-26	28.10.26 5.00PM	29.10.26 11.00 AM

नियम व शर्तें :-

- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित बैंक खाता सं० 50100165330599 IFSC Code: HDFC0000770, HDFC BANK, BULANDSHAHR in favour of "VC BKDA eTendering" में जमा करायी जायेगी।
- निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।
- निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाईट को देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना उपरोक्त वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- उक्त सभी कार्य की विभिन्न मदों में प्रयुक्त दर, जी.एस.टी रहित हैं।
- उक्त कार्य हेतु बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- क्रम सं० 01 एवं 02 पर अंकित कार्य हेतु हेतु विद्युत लाईसेन्स श्रेणी "क" का अनुमोदन होना अनिवार्य है।
- उक्त क्रम सं० 01 एवं 02 पर अंकित कार्य टू-बिड सिस्टम से प्राप्त की जायेगी।
- कार्य में प्रयोग कि ये जाने वाले उप-खनिजों पर रॉयल्टी के भुगतान के सम्बन्ध में भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 13/2020/115/86 -2020-52 (सा०)/2019 टी.सी. दिनांक 15.01.2020 संपठित शासनादेश सं० 2470/86 -2020-52 (सा०)/2019 टी.सी. दिनांक 31.12.2020 में विनिर्दिष्ट व्यवस्था लागू होगी।
- शहर में वायु की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए निर्माणाधीन कार्यों से जनित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, नियमावली 2016 एवं मा० एन.जी.टी के अधिनियम 2010 के नियमों के का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

A